

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर.


क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/2/277

दिनांक: 30/9/19

आदेश

राज्य सरकार के पूर्व आदेशों से नियुक्त श्री मनोज पारीक, विधि सलाहकार, नगरपालिका, सरदारशहर(चूरु) के स्थान पर श्री मुकनाराम सारण, एडवोकेट को निर्देशानुसार नगरपालिका, सरदारशहर में नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।


(उज्ज्वल राठीड)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/2/278-87

दिनांक: 30/9/19

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर।
05. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सरदारशहर जिला चूरु।
06. श्री मुकनाराम सारण, एडवोकेट मार्फत नगरपालिका, सरदारशहर जिला चूरु।
07. श्री मनोज पारीक, विधि सलाहकार, नगरपालिका सरदारशहर(चूरु)
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी